

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या : 18/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/92

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
हिम्मताराम गोदी पुत्र अन्नाराम कोम मेघवाल निवासी सोनाई मांझी, तहसील व जिला पाली (राज.)		1. ग्राम पंचायत सोनाई मांझी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सोनाई मांझी तहसील व जिला पाली (राज.) 2. श्रीमती मंजू पत्नी वेनाराम जाति मेघवाल निवासी सोनाई मांझी तहसील व जिला पाली (राज.)

“पंचायत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज  
अधिनियम, 1994”

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पीताराम परिहार।

—: निर्णय :-

दिनांक : 24/03/2026



प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत न्यायालय जिला कलक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 72/2018 अनवान हिम्मताराम बनाम ग्राम पंचायत सोनाईमांझी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2021 के विरुद्ध पेश की है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। मूल निगरानी प्रकरण संख्या 72/2018 तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 वक्त बहस अनुपस्थित होने से उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाकर अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 के मकान के मध्य एक पक्की दिवार पट्टा बनाने से पहले से स्थित है। उसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 2 ने ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर प्रार्थी की भूमि की तरफ 1 फूट 4 इंच अपने हिस्से से ज्यादा की भूमि का प्रश्नगत पट्टा जारी करवा दिया। उक्त पट्टे से सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत ने बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये, बिना नाप चौक किये पट्टा जारी किया है। न्यायालय को यह देखना है कि पट्टा प्रथम दृष्टया सही बनाया है अथवा नहीं। अप्रार्थी द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत दावा भी उनके विरुद्ध निर्णित हुआ। ग्राम पंचायत में रेकर्ड नहीं होने से यह माना जायेगा कि ग्राम पंचायत ने विधिसम्मत तरीके से पट्टा जारी नहीं किया है। प्रार्थी को प्रश्नगत निर्णय की नकल प्राप्त होने के पश्चात् अन्दर म्याद जैर पुनर्विलोकन

आंत. जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थना-पत्र पेश किया। अतः हस्तगत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाते हुये पुनर्विलोकाधीन निर्णय दिनांक 12.11.2021 को अपास्त कर मूल निगरानी को पुनः नम्बर पर दर्ज करने का निवेदन किया है।

हमने श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों तथा मूल निगरानी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र न्यायालय जिला कलक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 72/2018 अनवान हिम्मताराम बनाम ग्राम पंचायत सोनाईमांझी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2021 के विरुद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टे का रेकॉर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है, अतः ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों के अनुसार प्रश्नगत पट्टा जारी नहीं किया है। ग्राम पंचायत में रेकॉर्ड के संधारण का कार्य पट्टाधारक द्वारा नहीं किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है इसलिये यदि वर्तमान में ग्राम पंचायत में रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तो इसमें पट्टाधारक की कोई गलती है। मूल प्रकरण में यह तथ्य स्थापित है कि ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संधारण, संरक्षण एवं अद्यतन रखना ग्राम पंचायत का वैधानिक दायित्व है, न कि पट्टाधारक का। पट्टाधारक का यह दायित्व नहीं है कि वह पंचायत के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे। यदि वर्तमान समय में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है, तो मात्र इसी आधार पर पट्टे को अवैध या नियमविरुद्ध नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि यह सिद्ध न कर दिया जाए कि पट्टा प्रारम्भ से ही अवैध, कूटरचित या नियमों के उल्लंघन में जारी किया गया था। प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, साक्ष्य अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि वर्ष 2017 में पट्टा पंचायत नियमों के विपरीत जारी किया गया था या पंचायत प्रस्ताव के बिना जारी हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि इस अन्तराल के दौरान पट्टाधारक के अधिकार जैर आराजी पर अर्जित हो गये तथा वर्तमान में रिकॉर्ड के अभाव को आधार बनाकर पट्टे को निरस्त करना न्यायिक दृष्टि से अनुचित एवं असंगत प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1991 SC 2219 State of Punjab vs. Gurdev Singh के अनुसार "An administrative lapse or illegality committed by the authority cannot be a ground to penalise a citizen who has acted bona fide." उपरोक्त समस्त तथ्यों के विस्तृत परीक्षण से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि प्रश्नगत पट्टा विधिपूर्वक पंचायत प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था। वर्तमान में ग्राम पंचायत में अभिलेखों में उक्त पट्टे का रिकॉर्ड उपलब्ध न होना मात्र एक प्रशासनिक कमी हो सकती है, जिसका दायित्व पट्टाधारक पर नहीं डाला जा सकता।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था न्यायालय हाजा को किसी पट्टे के परीक्षण के दौरान टाईटल का निर्धारण नहीं करके पट्टे की प्रक्रिया को देखना है। मूल पत्रावली में प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी याचिका ग्राम पंचायत द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध पेश कर जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram



Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। चूंकि धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। न्यायालय द्वारा सन्दर्भित धारा के तहत केवल पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार है, न कि उस सम्बन्ध में कोई टाइटल का निर्धारण करना। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रश्नगत पट्टे की वैधता का परीक्षण उस समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई विधिक प्रक्रिया के आधार पर ही किया जाना है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी भूमि का पट्टा निर्गत किये जाने से पूर्व राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया की विधिवत पालना किया जाना आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की बैठक में विधिवत प्रस्ताव पारित किया जाना, उक्त प्रस्ताव का बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकन किया जाना तथा पट्टा निर्गमन से सम्बन्धित अभिलेखों का संधारण किया जाना अनिवार्य होता है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पट्टा निर्गमन की सम्पूर्ण कार्यवाही विधि के अनुरूप सम्पन्न की गई है। हस्तगत प्रकरण में पट्टे से सम्बन्धित मूल अभिलेख यथा मिसल, बैठक कार्यवाही रजिस्टर, पट्टा बुक ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल अभिलेखों के अभाव के कारण यह सुनिश्चित रूप से निष्कर्ष निकालना सम्भव नहीं है कि पट्टा जारी करने के समय ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियमों में वर्णित प्रावधानों की पूर्ण पालना की गई थी अथवा नहीं। तथापि, मूल पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे की प्रति का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट होता है कि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 2017 में जारी किया गया है, जिस पर तत्कालीन सरपंच, सचिव तथा पट्टाग्रहिता के हस्ताक्षर अंकित है तथा प्रस्ताव संख्या का अंकन है। इसके अतिरिक्त उक्त पट्टे की पुस्त पर भूमि का क्षेत्रफल एवं चारों दिशाओं के पड़ोस भी अंकित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पट्टा एक औपचारिक पंचायत प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था तथा पट्टे में वर्णित पड़ोस यह दर्शाता है कि भूमि की पहचान पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई थी तथा पट्टा किसी अनिश्चित या काल्पनिक भूमि पर जारी नहीं किया गया, जिससे प्रथमदृष्टया पट्टे की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। अतः न्यायालय हाजा द्वारा मूल निगरानी में पारित निर्णय विधिनुसार है।

यह सुस्थापित विधि है कि नजरसानी प्रार्थना पत्र में सफल होने के लिये नजरसानी निर्णय को देखने मात्र से त्रुटि प्रकट होना आवश्यक है। ऐसी त्रुटि जो कि स्वयं प्रमाणित नहीं है एवं जिसका निर्धारण तर्क संगत प्रक्रिया से करना होता है। वह अभिलेख को देखने मात्र से प्रकट होने वाली विधिक त्रुटि की परिधि में नहीं आती है। आलोच्य निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण अलग हो सकता है। किन्तु नजरसानी का आधार नहीं हो सकता। पुर्नविलोकाधीन निर्णय का मुख्य आधार ग्राम पंचायत में रेकॉर्ड उपलब्ध नहीं होना तथा टाइटल का निर्धारण नहीं करना है। इस प्रकार पुर्नविलोकन

*(Handwritten signature)*

अति. जिला कलेक्टर, पाली



का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है। पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि नजरसानी एक अतिरिक्त अपील का माध्यम नहीं बन सकती है तथा नजरसानी में केवल उस सीमा तक ही विचार किया जाना सम्भव है जिस सीमा तक आदेश 47 नियम 1 सीपीसी में प्रावधान दिये गये हैं। नजरसानी का दायरा अत्यधिक समिति होता है और नजरसानी की आड़ में प्रकरण का पुनः परीक्षण नहीं किया जा सकता है। आर.आर.डी. 2010. पेज 254 प्रेमराज बनाम श्रीमती मनभर देवी में माननीय राजस्व मण्डल की एकल पीठ ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि-

- (a) Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble High Court have held in several matters that the remedy of review is not an instrument for re-examination of the facts and is cannot be utilized as an instrument for rewriting the judgment. The scope of review does not provide an opportunity of an extra appeal. It has been held that even when judgment is erroneous the scope of review is not attracted.
- (b) The scope of review is very limited and review is not the method of re-examination of a judgment. It even does not give any scope to the Court to sit in appeal over the judgment pronounced by the same Court. The scope permits only to correct the lawful mistakes which are apparent on the face of the record. Hon'ble Supreme court in Smt. Meera Bhanja vs Nirmala Kumari Chaudhary, AIR 1995 SC page 455 clearly held that the lawful error apparent on the face of the record should be such which should strike immediately looking at the face of the record and which does not require any long drawn process of reasoning or examination of law. The Court are not supposed to re-appreciate the evidence but only restrict themselves for correction of the mistakes which are visible on the face of the record.
- (c) The power of review can be exercised only for correction of patent error of law or fact which stares on the face without any elaborate argument being needed in establishing it. The error apparent on the face of the record is one which is self-evident and does not require a process of reasoning and it is distinct from erroneous decision. Rehearing the matter or detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the ambit of the jurisdiction of review. Jurisdiction of review cannot be used as an appellate jurisdiction in disguise. Hon'ble Supreme Court in State of Haryana vs Mohinder Singh, 2003(1) WLC (SC) page 499 considered the scope of review under Order 47 Rule 1 CPC which is reproduced here -

Civil Procedure Code O. 47 Rule 1- Scope - Hearing of review does not mean giving one more chance for rehearing matter already disposed of - High court in hearing review as if it was



अति. जिला कलेक्टर. पाली

rehearing whole petition overstepped its limits - Order of High Court set aside and original order restored.

इसके अतिरिक्त इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी 2005 (1) पृष्ठ 545 सुरेन्द्र कुमार वकील एवं अन्य बनाम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मध्यप्रदेश एवं अन्य में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - A point that has been heard and decided cannot form a ground for review even if assuming that the view taken in the judgment under review is erroneous. इसके अतिरिक्त ए.आई.आर 2014 एस.सी. (सप्ली.) 254 में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया है कि - Mere disagreement with view expressed in judgment - or that other view is possible - Not ground to invoke review jurisdiction - Review jurisdiction can be exercised only when there is glaring omission or patent mistake or when a grave error has crept in judgment.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 1997 (8) एस.सी.सी. पृष्ठ 715 परसियन देवी व अन्य बनाम सुमित्री देवी व अन्य में भी यह अभिनिर्धारित किया गया है कि - Review Scope of Jurisdiction-Mistake or error apparent on the face of the record - Is one which is self - evident and does not require a process of reasoning - Distinct from erroneous decision - So rehearing the matter for detecting an error in the earlier decision and then correcting the same do not fall within the ambit of review jurisdiction - Review jurisdiction cannot be used as appellate jurisdiction.

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त ए.आई.आर. 1995 उच्चतम न्यायालय पृष्ठ 455 श्रीमती मीरा भान्जा बनाम श्रीमती निर्मला कुमारी चौधरी में भी यह प्रतिपादित किया गया है कि - Review - Error apparent on face of record - Means an error which strikes one on mere looking at record and would not require any long drawn process of reasoning on points where there may conceivably be two opinions. साथ ही 2005(1) आर.आर.टी. पेज 545 में माननीय न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि "that even if a erroneous view taken on a particular issue, it cannot be a ground for review.

यहां तक कि यदि निर्णय में लिया गया अभिमत गलत भी हो तो भी वह नजरसानी के लिए आधार नहीं हो सकता है जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिव्यू पीटिशन संख्या 662/2001 बअनवान सुरेन्द्र कुमार वकील व अन्य बनाम चीफ एक्जीटिव आफिसर एम.पी. में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2004 में प्रतिपादित किया है। उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त में अभिनिर्धारित सिद्धान्तों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि न्यायालय हाजा द्वारा समस्त अभिलेखों का सम्पूर्ण विवेचन करने के उपरान्त मूल प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया गया और निर्णय देखने मात्र से किसी प्रकार की विधिक त्रुटि अभिलेख पर परिलक्षित नहीं होती है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी हमारे समक्ष आलोच्य निर्णय में ऐसी कोई विधिक त्रुटि प्रस्तुत करने में सफल नहीं हो पाये जिससे आलोच्य निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके। उपरोक्त आलोक में आलोच्य निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का सम्यक् एवं विस्तृत विवेचन करने के उपरान्त ही गुणावगुण पर निर्णय



*Handwritten signature*

अति. जिला कलेक्टर, पाली

पारित किया गया है, जो पूर्णतया तर्कसंगत एवं विधिक बिन्दुओं पर आधारित है, जिसमें देखने मात्र से किसी प्रकार की विधिक त्रुटि अभिलेख पर प्रकट नहीं होती है एवं नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आलोच्य निर्णय निरस्त करने का कोई समुचित एवं न्यायोचित कारण प्रकट नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना-पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली के प्रकरण संख्या 72/2018 अनवान हिम्मताराम बनाम ग्राम पंचायत सोनाईमांझी वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 12.11.2021 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्यप्रति के साथ मूल पत्रावली जिला अभिलेखागार, पाली में भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. बजरंग सिंह)

अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

अति. जिला कलक्टर, पाली